अनुलग्नक 'डी'

<u>नाबालिग को पासपोर्ट जारी करने हेतु</u>

<u>आवेदक के माता-पिता या अभिभावक द्वारा नमूना घोषणा</u>

(सादे कागज पर)

मैं/हम, नीचे दिए गए विवरण वाले नाबालिग बच्चे के माता-पिता/कानूनी अभिभावक, पूर्णत: घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि:-

नाबालिग बच्चे का नाम:.....
जन्म तिथि:.....

पिता का नाम.....	माता का नाम.....
नागरिकता.....	नागरिकता.....
पासपोर्ट संख्या.....	पासपोर्ट संख्या.....
संपर्क क्रमांक.....	संपर्क क्रमांक.....
ईमेल आईडी.....	ईमेल आईडी.....
पता.....	पता.....
.....	
.....	

1. मैं/हम उपरोक्त नाबालिग बच्चे के माता/पिता/अभिभावक/कानूनी अभिभावक/अभिभावक हूँ/हैं, जिनकी ओर से मैं/हम पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, जिसका एआरएन क्रमांक..... है।

2. ऊपर उल्लिखित नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक है। मैं/हम पूर्णतः घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि उसने/उसने अपनी भारतीय नागरिकता न तो खोई है, न ही त्यागी है और न ही उसे इससे वंचित किया गया है।

3. मैं/हम उसके/उसके सभी खर्चों की पूरी जिम्मेदारी लेते/लेती हूँ।

4. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित और वचनबद्ध करते हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा में दी गई कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:

क) इस घोषणा के आधार पर जारी पासपोर्ट को रद्द करना (जब्त करना/रद्द करना);
ख) भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना।

पिता/कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर.....

पिता का नाम.....

पासपोर्ट संख्या: (अधिमानतः).....; या

आधार कार्ड संख्या; या

मतदाता पहचान पत्र संख्या; या

पैन कार्ड संख्या.....; या

ड्राइविंग लाइसेंस संख्या.....

माता/कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर.....

माता का नाम.....

पासपोर्ट संख्या: (अधिमानतः).....; या

आधार कार्ड संख्या; या

मतदाता पहचान पत्र संख्या; या

पैन कार्ड संख्या.....; या

ड्राइविंग लाइसेंस संख्या.....

दिनांक:

स्थान:

टिप्पणी:

1. 'कानूनी अभिभावक' के मामले में, नाबालिग के 'कानूनी अभिभावक' नियुक्त करने वाले न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करें।

2. पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 5, पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 5 के साथ पढ़ी जाए तो यह निर्धारित होता है कि पासपोर्ट प्राधिकरण सभी प्रकार की पूछताछ कर सकता है और आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा आवेदन के उचित निपटान के लिए आवश्यक समझी जाए।
